सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15/2016

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

A7/1

न्यायालय : विवाह अधिकारी एंव अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियॉ, आर0ए0एस0

विवाह प्रार्थना पत्र सं0 /2016

प्रार्थना पत्र अ0 विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत विवाह अनुष्ठापित कराये जाने बाबत पक्षकार श्री हरप्रीतसिंह एवं श्रीमती नीलकमल

आदेश प्रार्थना पत्र दिनांक : 23–08–2016

विवाह के पक्षकार श्री हरप्रीतसिंह एवं श्रीमती नीलकमल ने संयुक्त रूप से जरिये अधिवक्ता श्री भारतभूषण नागपाल – विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 20–5–16 को प्रस्तुत कर विवाह अनुष्ठापित कराने का निवेदन किया है।

आवेदन पत्र के साथ प्रार्थीगण ने स्वंय के हल्फनामे एवं तीन अन्य गवाहन के शपथ पत्र पेश किये हैं। प्रार्थना पत्र के साथ अन्य आवश्यक दस्तावेजात की फोटो प्रतियॉ पेश की गई है।

आवेदन पत्र दिनांक 20–5–16 को पेश किया था। निर्धारित शुल्क दिनांक 25–5–16 को जमा हो चुका था। दिनांक 6–6–16 को तीस दिवस की आपति सूचना पत्र जारी किये गये थे। कोई आपति प्राप्त न होने पर, विवाह के पक्षकार के अधिवक्ता को जरिये पत्र क्रमांक 1813 दिनांक 1–8–16 को पत्र जारी कर अपेक्षा की गई थी कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 14 के अन्तर्गत 90 दिवस की अवधि निर्धारित की हुई है। अतः उक्त नियम के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में विवाह के पक्षकारान, गवाहान के साथ उपस्थित होकर विवाह अनुष्ठापन की कार्यवाही सम्पन्न करावें अन्यथा बाद गुजरने मियाद धारा 14 के अन्तर्गत आवेदन पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

पत्र दिनांक 1–8–14 की पालना में विवाह के पक्षकारान के अधिवक्ता आदिनांक तक उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में विवाह अनुष्ठापन की नियमानुसार कार्यवाही करवाई है।

अतः विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत तीन मास की अवधि के भीतर विवाह का अनुष्ठापन न होने पर सब अन्य कार्यवाहियॉ व्यपगत हुई समझी जायेंगी। ऐसी स्थिति में धारा 14 के अनुसरण में तीन माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है तथा इस कार्यालय द्वारा जारी पत्र दिनाक 1–8–16 की पालना में विवाह के पक्षकारान द्वारा कोई कार्यवाही न करने के कारण, विवाह का अनुष्ठापन विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

फलस्वरूप, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 14 के उल्लघंन में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 23–8–16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करतारसिंह पूनियॉ)
विवाह अधिकारी एवं
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।